अध्याय 7 – कोयला खानों का परिचालन

अधिनियम ने कोयला खानों/ब्लॉकों को विभिन्न अनुसूचियों में वर्गीकृत कर दिया था। जैसा कि अध्याय 2 में चर्चा की गई, अनुसूची-II में अनुसूची-I की 42 खानें समाविष्ट थीं जो कि इनको निरस्त किए जाने के समय उत्पादन कर रही थीं या उत्पादन शुरू करने वाली थी। अनुसूची-III की खानों में अनुसूची-I की 32 खानें समाविष्ट थीं जिन्हें विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए चिंहित किया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2014 में कोयला मंत्रालय (एम ओ सी) ने एक प्रारम्भिक आकस्मिक योजना बनाई जिसने 'खनन के लिए कैप्टिव कोयला खानों की तैयारी' का विश्लेषण किया। इससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि अनुसूची-III की 32 खानों/ब्लॉकों में से आठ खानें ऐसी थीं जिनके संबंध में पर्यावरण स्वीकृति (ई सी) और वन स्वीकृति (एफ सी) प्राप्त हो चुकी थीं और पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। ये खाने खनन पट्टे (एम एल) और खनन की संचालन स्वीकृति मिलने के बाद 3–6 महीनों में खोली जा सकती थीं। इसके अतिरिक्त, शेष 24 कोयला खाने ऐसी थीं जिनकी पूर्ण रूप से जाँच कर ली गयी थी, इनसे संबंधित खनन योजनाएँ तैयार थी, पर्याप्त मात्रा में भूमि का अधिग्रहण हो चुका था और वैधानिक स्वीकृतियाँ जैसे कि ई सी और एफ सी (चरण-I) प्राप्त कर ली गयी थी। ऐसे मामलों में शेष स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ प्राप्त होने के बाद छः–अठारह महीनों की अवधि में खनन प्रारंभ किया जा सकता था।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने ई–नीलामी के पहले दो ट्रेंचों में सफलतापूर्वक नीलाम की गई कोयला खानों से कोयले के उत्पादन की स्थिति का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रकार हैं:

7.1 सफलतापूर्वक नीलाम हुई कोयला खानों के परिचालन की स्थिति

लेखापरीक्षा ने एम ओ सी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों की जाँच में पाया कि 29 सफलतापूर्वक नीलाम हुई कोयला खानों में से, 26 कोयला खानों (अनुसूची-II की 15 तथा अनुसूची-III की 11 जैसा कि **अनुलग्नक-V** में वर्णित है) के संबंध में निधान आदेश जारी किये गये थे। शेष तीन कोयला खानों (अर्धग्राम, उत्कल–सी और मंदाकिनी) के संदर्भ में न्यायालय में मामले लंबित होने के कारण निधान आदेश जारी नहीं किए गए।

एम ओ सी ने सूचित किया (मई 2016) कि अनुसूची-II की दस[21] तथा अनुसूची-III की एक[22] कोयला खान में कोयले का उत्पादन शुरू हो गया था/खान प्रारंभ करने की अनुमति दे दी गई थी।

[21] अमेलिया नार्थ, बेलगांव, बिचारपुर, चोटिया, गारे पालमा IV/4, गारे पालमा IV/5, मंडला नार्थ, सरीसातोल्ली, सियाल घोघरी, तालाबीरा-I
[22] मंडला साउथ

7.2 अनुसूची-II की शेष कोयला खानों की स्थिति

कोयला खान विकास एवं उत्पादन अनुबन्ध (सी एम डी पी ए) के अनुसार प्रारम्भ से पूर्व प्रतिवेदनों को खान परिचालन प्रारम्भ होने से प्रत्येक तीस दिन में एक बार सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। इन प्रतिवेदनों में अन्य बिंदुओं के अलावा खान परिचालन के प्रारंभ में सफल बोलीदाताओं द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण दर्शाया जाना था। मई 2016 में एम ओ सी द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्च 2016 के प्रारम्भ पूर्व प्रतिवेदनों की जाँच ने दर्शाया कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्वयं आबंटियों के स्तर पर अनुसूची-II की पाँच[23] कोयला खानों (विद्युत क्षेत्र की दो[24]) के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियाँ लंबित थीं। इन कोयला खानों के लिए निधान आदेश मार्च 2015 (चार कोयला खानों के लिए) तथा अप्रैल 2015 (एक[25] खान के लिए) में जारी किए गए। विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रक्रियाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 8 : केन्द्र सरकार से लंबित प्रक्रिया (विवरण अनुलग्नक VI में)

अनुमति/ स्वीकृति	समाप्ति हेतु समय सीमा (निधान आदेश के जारी करन के बाद)	कोयला खान का नाम	
सी सी ओ[26] से प्रारम्भ करने की अनुमति	03	गारे पालमा IV/7	ट्रांस दामोदर
भू–जल अनुमति	03	कथौटिया	ट्रांस दामोदर
खान समापन योजना	06	गारे पालमा IV/7	-

तालिका 9 : राज्य सरकारों से लंबित प्रक्रिया (विवरण अनुलग्नक VII में)

अनुमति/ स्वीकृतियाँ	समाप्ति हेतु समय सीमा (निधान आदेश के जारी करने के बाद)	कोयला खान का नाम			
डी जी एम एस से प्रारम्भ करने की अनुमति	03	गारे पालमा IV/7		ट्रांस दामोदर	
संचालन की अनुमति	03	कथौटिया		तोकीसूद नार्थ	
भूमि विपथन/ परिवर्तन	03	तोकीसूद नार्थ		कथौतिया	
विस्फोटक अनुज्ञा	03	कथौटिया	मरकी मंगली III	तोकीसूद नार्थ	ट्रांस दामोदर
रेलवे साइडिंग अनुमोदन	03	तोकीसूद नार्थ			
खनन पट्टा देने हेतु	03	कथौटिया	मरकी मंगली III	तोकीसूद नार्थ	गारे पालमा IV/7

[23] गारे पालमा IV/7, ट्रांस दामोदर, कथौटिया, तोकीसूद नार्थ, मरकी मंगली III
[24] विद्युत क्षेत्र की दो खाने अर्थात् ट्रांस दामोदर तथा तोकीसूद नार्थ
[25] मरकी मंगली III कोयला खान (गैर नियमित क्षेत्र)
[26] कोयला नियंत्रक संगठन

तालिका 10 : आबंटियों के स्तर पर लंबित प्रक्रिया (विवरण अनुलग्नक VIII में)

अनुमति/स्वीकृतियाँ	समाप्ति हेतु समय सीमा (निधान आदेश के जारी करने के बाद)	कोयला खान का नाम	
भू–जल अनुमति	03	मरकी मंगली III	-
पर्यावरण मंजूरी	03	मरकी मंगली III	-
बिजली आपूर्ति	03	ट्रांस दामोदर	-
डी जी एम एस से प्रारम्भ करने की अनुमति	03	मरकी मंगली III	-
एस्क्रो खाते को खोलना	06	ट्रांस दामोदर	तोकीसूद नार्थ
खान समापन योजना (एम सी पी)	10 (संशोधित एम सी पी के लिए)	मरकी मंगली III	-

इन सभी मामलों को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि सी एम डी पी ए में दिये गए दक्षता मापदण्ड के अनुसार, निधान आदेश पर हस्ताक्षर से छः माह के भीतर अर्थात् सितम्बर/अक्तूबर 2015 तक इन अनुमतियों को प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था। यह उन मामलों में अधिक महत्वपूर्ण था जिनमें प्रक्रिया आबंटियों के स्तर पर ही लंबित थी।

7.3 अनुसूची-III की शेष कोयला खानों की स्थिति

लेखापरीक्षा ने अनुसूची-III की सफलतापूर्वक नीलाम की गई 11 में से 10 खानों की लंबित मंजूरी/स्वीकृतियों की स्थिति का भी विश्लेषण किया जहाँ उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ था। इन कोयला खानों के लिए निधान आदेश अप्रैल 2015 में जारी हुए थे। सी एम डी पी ए में दिए गए दक्षता मापदण्डों के अनुसार, आबंटी को 3 से 44 माह की अवधि के भीतर विभिन्न सांविधिक अनुमोदन/स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी थीं। स्वीकृति/अनुमोदन जिन्हें निधान आदेश के जारी होने से 12 माह के भीतर जारी होना था, की स्थिति के विश्लेषण ने दर्शाया कि नेराद मालेगांव कोयला खान के आबंटी ने अक्तूबर 2015 में खान समापन योजना (एम सी पी) को एम ओ सी के पास अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। हालाँकि, एम सी पी को एम ओ सी द्वारा मार्च 2016 तक अनुमोदित नहीं किया गया था जो कि सी एम डी पी ए में निर्धारित किए गए 11 माह के निर्धारित समय के विपरीत था। इस विलम्ब के कारण कोयला खान के परिचालन में देरी हो सकती थी।

उपरोक्त विश्लेषण ने दर्शाया कि नीलाम की गई कोयला खानों में उत्पादन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न अनुमोदनों/स्वीकृतियों तथा प्रत्येक आबंटी के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही के कारण लंबित था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विद्युत क्षेत्र की कोयला खानों की

नीलामी के लिए अपनाये गए प्रतिरूप की धारणीयता में जोखिम के कारण विद्युत क्षेत्र की कोयला खानों के परिचालन में विलम्ब हो सकता था।

7.4 एम ओ सी के उत्तर एवं टिप्पणियाँ

मंत्रालय ने अपने उत्तरों (नवम्बर 2015, जनवरी 2016 व मार्च 2016) में कहा कि विशिष्ट लंबित मुद्दों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया एवं कई मुद्दे सुलझाए जा रहे हैं। पूर्व आबंटियों द्वारा दायर किए गए न्यायिक मामलों के कारण कई खानों को परिचालित नहीं किया जा सका। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार ने खनन योजना, खान समापन योजना व खनन पट्टे की पूर्व अनुमति की पात्रता को निधान आदेशों के साथ ही स्थानांतरित कर दिया। अनुमति/स्वीकृति आदि के सर्वाधिक लंबित मामले राज्य स्तर पर हैं। कोयला खानों जिनके लिए निधान आदेश जारी हो चुके थे, से संबंधित स्थिति की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से पुनः जाँच की जा रही थी।

अनुसूची-II और अनुसूची-III की कोयला खानों की शीघ्र नीलामी का मुख्य उद्देश्य था कि इनको शीघ्र उत्पादन में लाया जा सके क्योंकि निरस्त किए जाने के समय ये खानें पहले से उत्पादन कर रही थी या उत्पादन करने के लिए तैयार थी और देश की ऊर्जा सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, सीमेंट व विद्युत इकाइयों पर इसके प्रभाव को कम करना था, जो कि देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि इन कोयला खानों से उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए गये, तथ्य यह रहा कि मई 2016 तक 26 में से मात्र 11 कोयला खानों में उत्पादन प्रारंभ किया जा सका/खान प्रारंभ करने की अनुमति दी गई।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्वयं आबंटियों के स्तर पर विभिन्न अनुमोदनों के लंबित मामलों ने इन कोयला खानों की नीलामी शीघ्र कराने के उद्देश्य की प्राप्ति को प्रभावित किया।